संख्या-17/2023/727/तेईस-7-2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ:दिनांक जून, 2023

विषयः- श्री राम प्रकश गुप्ता, मुख्य लिपिक (सेवानिवृत्त), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा की पत्नी श्रीमती स्नेहलता गुप्ता की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-1424 व्यगशा/7व्यग(69)/2022, दिनांक 31.05.2023 साथ सलग्नकर प्राप्त सभी अभिलेख मूलरूप में संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011 (यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राम प्रकश गुप्ता, मुख्य लिपिक (सेवानिवृत्त) प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग आगरा की पत्नी श्रीमती स्नेहलता गुप्ता का उपचार साइग्नस रेनबो हास्पिटल, आगरा में दिनांक 02.09.2022 से 25.09.2022 तक कराये गये उपचार में व्यय धनराशि रू0 8,36,702.00/- (आठ लाख छत्तीस हजार सात सौ दो रूपये मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा द्वारा तकनीकी परीक्षण के पश्चात संस्तुत/प्रतिहस्ताक्षरित धनराशि रूपया 7,23,766.00/-(रूपये सात लाख तेईस हजार सात सौ छियासठ मात्र) तथा मैक्स हेल्थकेयर हास्पिटल, साकेत, नई दिल्ली में दिनांक 25.09.2022 से 08.10.2022 तक कराये गये उपचार में व्यय धनराशि रूपया 14,26,282/-(चौदह लाख छब्बीस हजार दो सौ बयासी मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा द्वारा तकनीकी परीक्षण के पश्चात संस्तुत/प्रतिहस्ताक्षरित धनराशि रू0 9,85,076/-(रूपये नौ लाख पच्चासी हजार छिहत्तर मात्र) कुल रू0 17,08,842/-(रूपये सत्रह लाख आठ हजार आठ सौ बयालिस मात्र) की प्रतिपूर्ति श्री राम प्रकश गुप्ता, मुख्य लिपिक (सेवानिवृत्त) प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग आगरा को किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

1. स्वीकृत धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त प्रतिपूर्ति दावे की धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रश्नगत चिकित्सा दावे की संबंध में चिकित्सा अग्रिम के रूप में यदि कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत हुयी हो तो उसका समायोजन कर लिया जायेगा। तदोपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-62 के अधीन लेखाशीर्षक ''2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तिक हितलाभ-01 सिविल-800 अन्य-04 राज्य सरकार के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं की अधिकारी व उनके परिवार के आश्रित सदयों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता 49-अन्य व्यय'' के मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या-17/2023/727(1)/23-7-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
5- कोषाधिकारी, आगरा।
6- अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
8- राम प्रकश गुप्ता, मुख्य लिपिक (सेवानिवृत्त), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण आगरा।
9- गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।